

झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा

सप्तम (शीतकालीन) सत्र

संख्या-02

शुक्रवार, दिनांक-18 नवम्बर, 2016 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वों से 12.08 बजे अप० तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

आसन द्वारा कल सदन में नेता प्रतिपक्ष के तरफ से लाये गये विषय कि कहाँ पर नोट बदलने के क्रम किसी व्यक्ति का असामयिक निधन हो गया था, उस विषय को नेता प्रतिपक्ष सदन में खाना चाहते हैं, की सूचना देते ही विपक्षी दल के माननीय सदस्यगण सी.एन.टी.-एस.पी.टी. एकट में छेड़छाड़ बन्द करने तथा पोस्टरयुक्त स्लोगन के साथ अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये एवं संशोधन वापस करने के नारे लगाते हुए वेल में आ गये। इसी बीच आसन से माननीय सदस्य, सर्वश्री आलगीगर आलम, प्रदीप यादव एवं श्री दीपक विरुद्धा के संयुक्त हस्ताक्षर से कार्य-स्थगन प्रस्ताव प्राप्त होने की सूचना दी गयी। आसन द्वारा माननीय सदस्यों से अपन-अपने स्थान पर बैठने हेतु आग्रह किया गया परन्तु, नारेबाजी जारी रही। बार-बार आग्रह के बावजूद सदन में अव्यवस्था का माहौल बना रहा। आसन द्वारा प्रश्नकाल के चलने देने के आग्रह के बावजूद माननीय सदस्यगण सदन के वेल में यथावत् बने रहे। अव्यवस्था के माहौल को देखते हुए सदन की कार्यवाही 12.00 बजे मध्यांत तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

स्थगनोपरांत

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

सभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में विपक्षी सदस्यों द्वारा युन: सी.एन.टी.-एस.पी.टी. एकट में संशोधन के विरोध में नारेबाजी जारी रही इस बीच विरोधस्वरूप वे वेल में आ गये। आसन द्वारा बारम्बार आग्रह के बावजूद वे वेल में ही बने रहे जिसके कारण शून्यकाल की सूचनायें नहीं ली जा सकी।

इसके उपरांत माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 8 नवम्बर, 2016 की आधी रात से 500 और 1000 रुपये के वर्तमान करोंसी नोट की लीगल टेंडर के तौर पर मान्यता समाप्त किये जाने के निर्णय को ऐतिहासिक एवं अत्यंत साहसिक कदम बताया गया तथा झारखण्ड की समस्त जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री को हार्दिक बधाई और साधुवाद दिया गया। झारखण्ड के परिप्रेक्ष्य में उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में इसे मील का पत्थर साबित होने की बात भी कही गयी साथ ही पलामू जिले के मोहम्मदगंज स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में रुपया लेने के क्रम में खड़े एक बुजुर्ग रामचन्द्र पासवान, ग्राम-कांडी के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उनके आश्रित को एक लाख रुपये की सहायता राशि दिये जाने की घोषणा की गयी।

कृ० य० उ०

1. कार्य-मंत्रणा समिति के प्रस्तावों की स्वीकृति:-

गुरुवार, दिनांक-17.11.2016 को कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव आसन द्वारा पढ़े जाने के पश्चात् स्वीकृत हुए तथा इसपर सभा की सहमति हुई।

2. वित्तीय कार्य:-

श्री सरयू राय, माननीय प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद-203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष-2016-17 के द्वितीय अनुप्रूपक व्यय विवरणी को सभा पटल पर रखा गया। इसपर आज दिनांक-18 नवम्बर, 2016 को 04.00 बजे अप० तक कटौती का प्रस्ताव सभा सचिव को दिये जाने की सूचना आसन द्वारा माननीय सदस्यों को दी गयी तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक- 21 नवम्बर, 2016 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिये स्थगित हुई।

राँची,

दिनांक- 18 नवम्बर, 2016 ई०।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।